झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/अपीलवाद संख्या 68 वर्ष 2023

विविधवाद/प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री धम्मू नाथ विश्वकर्मा,
ग्रा० - चेचरिया, पं० - मुरीमकला,
पो० - डैलटीरोड, जिला - पलामू ।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–68 / 2023 परिवादी श्री शम्भु नाथ विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुर्रामकला, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–29.09.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना सूचना उनका राशन कार्ड सं0–202005149484 रद्द कर दिया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि जब इसकी शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में की गई तो उनका हरा राशन कार्ड सं0–202800994700 बनवा दिया गया। परिवादी का एक अन्य आवेदन दिनांक–25.11.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि पूर्व में आयोग के व्हाटसएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी किन्तु उनकी समस्या का निवारण अबतक नहीं किया गया है। यह भी कि राशन नहीं मिलने की स्थिति में परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx153	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–68 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री शम्भू नाथ विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुर्रामकला, प्रखण्ड–उंटारी रोड़, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू अनुपस्थित। शिकायतकर्त्ता ने सुनवाई के दौरान दूरभाष पर बताया कि उनका पहले लाल राशन कार्ड था जिसे उन्हें बताये बगैर रद्द कर दिया गया और अब ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। लेकिन ग्रीन कार्ड में राशन मिलता ही नहीं है, ऐसे में वो भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता के संदर्भ की पूरी जानकारी इकठ्ठा करें और यदि उन्हें खाद्यान्न का संकट है तो उन्हें तत्काल आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध करायें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश भी देता है कि वो इस मामले की जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें की किस परिस्थिति में शिकायतकर्त्ता का लाल राशन कार्ड निरस्त किया गया? मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx23	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–68 / 2023	
30.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री शम्भू नाथ विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुर्रामकला, प्रखण्ड–उंटारी रोड, जिला–पलामू दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय कुमार, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, उंटारी रोड, पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में पत्रांक–07 दिनांक–29.01.2024 के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, उंटारी रोड द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को समर्पित प्रतिवेदन की एक प्रति आयोग को समर्पित की गई। जिसमें आयोग के निर्देश के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आयोग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि परिवादी श्री शम्भू नाथ विश्वकर्मा की उपस्थिति में की गई जाँच में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता श्री विश्वकर्मा के पास अपना 07 कमरों का पक्का मकान सीढ़ी सहित है। अतः उन्हें अपात्र मानते हुए उनका राशन कार्ड रद्द किया गया। साथ ही जाँच से सम्बन्धित अन्य विवरणी प्रतिवेदन में पेश किया गया है। आयोग पत्रांक–07 दिनांक–29.01.2024 के माध्यम से समर्पित प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx150	